# फर्द अहकाम

## (नियम–26)

## अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

**बाबुलाल बनाम ढगली देवी**

किस्म मुकदमा ........225 आर.टी.एक्ट...................... मुकदमा नंबर.......................92.........सन........2022..................

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10/08/2022 | यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर रायपुर द्वारा मुकदमा संख्या 03/16 व 42/09 बअनवान ढगली के का.मु. सोहनलाल बनाम बाबूलाल में पारित आदेश दिनांक 22.01.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।<br><br>अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया ढगलीदेवी की ओर से एक दावा बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, मेण्डेटरी एवं प्रोहीबेटरी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलाण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। जिस पर अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए डिक्री पारित की। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट की ओर से अपील श्रीमान के न्यायालय में अपील संख्या 07/2012 पेश की जिसमें निर्णय दिनांक 27.01.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अपास्त कर पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की। उक्त निर्णय की पत्रावली प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2016 को वाद संख्या 03/2016 दर्ज की गयी। पूर्व में निर्णय दिनांक 27.01.2016 की पालना में राजस्व रेकर्ड जो अपीलाण्ट के नाम दर्ज था, उसके स्थान पर रेस्पोडेण्ट का नाम दर्ज कर दिया गया, जो सही रेकर्ड दर्ज कराने हेतू प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2019 को पेश हुआ जिसकी प्रति वादी को दी गई तथा न्यायालय द्वारा रेकर्ड की पूर्व स्थिति की पालना हेतू दिनांक 04.09.2019 को आदेशिका दर्ज कर उसकी पालना हेतू तहसीलदार रायपुर को पत्र जारी किया गया, जिस पर तहसीलदार रायपुर द्वारा नामान्तरण संख्या 2737 दिनांक 25.10.2019 को दर्ज कर अपीलाण्ट के नाम राजस्व जमाबंदी में इन्द्राज किया। उक्त वाद संख्या 03/2016 की पेशी दिनांक 26.02.2021 को नियत थी, उक्त वाद में वादी ढलकी के अधिवक्ता की ओर से दिनांक 22.01.2021 को पेश प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित किया कि "वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निम्बेडा कलां के खसरा नम्बर 287 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा में मौका एवं रेकर्ड की आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाये रखने एवं आराजी के बेचाण, बख्शीश रहन इत्यादि करने से प्रतिवादी को रोका जाता है पेशी दिनांक 26.02.2021 को नियत की गई" इस प्रकार उक्त आदेश अपीलाण्ट को बिना सुनवाई के एकपक्षीय आदेश 22.01.2021 पारित किया। उक्त स्थगन आदेश होने से राजस्व जमाबंदी का इन्द्राज अपना खाता के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख के इन्टरनेट प्रवृष्टि में नहीं की गयी। रेस्पोडेण्ट उक्त कृषि भूमि के अपना | |

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खाता के ऑनलाईन रेकर्ड जमाबंदी में उनका नाम दर्ज होने से वह उक्त भूमि अन्य किसी को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, बक्शीश व हकतर्क करने हेतु तत्पर है। यदि रेस्पोडेण्ट ऐसा कर देते है, तो अपीलाण्ट को अपनी कृषि भूमि से वंचित एवं न्याय प्राप्ति से भी वंचित रहेगा। अतः ग्राम निम्बेड़ा कला तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 287 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा की भूमि को रेसपोडेण्ट संख्या 1.1 से 1.5 को अन्य किसी के पक्ष में बेचान, बक्शीश, रहन, भोगलावा, या अन्य किसी भी तरह से हस्तान्तरण नहीं करें एवं राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखने का आदेश विरूद्ध रेस्पोडेण्ट किया जावें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाक 22.01.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी/रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22.01.2021 को पत्रावली तलब करने एवं उसमें स्थगन आदेश पारित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर अपीलाण्ट को बिना सूचना दिये एक पक्षीय आदेश दिनांक 22.01.2021 को वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 287 रकबा 09 बिघा 13 बिस्वा में मौका व रेकर्ड की आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाये रखने एवं आराजी के बैचान बक्शीक्ष रहन इत्यादि करने से प्रतिवादीगण को रोके जाने का आदेश पारित किया है। अतः अंतरिम व्यादेश इस अमर का सादिर किया जाता है कि सहायक कलेक्टर रायपुर द्वारा मुकदमा संख्या 03/16 बअनवान ढगली के का.मु. सोहनलाल बनाम बाबूलाल में पारित आदेश दिनांक 22.01.2021 में आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें। तद्नुसार सहायक कलेक्टर रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2016 बअनवान सोहनलाल बनाम बाबुलाल के संबंध में उभयपक्षो को सुनकर विधी में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली